न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 188/2012 निर्णय दिनांक :–15.02.2022

उनवानी दावा :

1. खेतसिंह पुत्र श्री छीतरदान जी जाति चारण, निवासी ग्राम धांधोली, तहसील देवली जिला टोंक, राजस्थान
2. श्रीमती लाडबाई पत्नि स्व. श्री छीतरदान चारण निवासी ग्राम धांधोली, तहसील देवली, जिला टोंक, राजस्थान

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
2. तहसीलदारजी देवली जिला टोंक
3. ग्राम पंचायत पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक जरिये सचिव

–प्रतिवादीगण–

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व इस्तकरारे हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धांधोली ग्राम पंचायत पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक की जमाबंदी वर्ष 2033–36 के खाता संख्या 19 एवं संबंधित नक्शे के अनुसार श्री छीतरदान, दुर्गादान पुत्र श्रीदान जाति चारण, के खातेदारी की जमीन आपसी पारिवारिक समझौते के द्वारा भाईयों में विभाजित की गई थी तथा ख0नं0 368, 369, 373, 387, 480, 481 एवं 482 आदि ख0नं0 श्री छीतरदान पुत्र श्री श्रीदान जी के हिस्से में आयी थी। श्री छीतरदान पुत्र श्री श्रीदान वादी संख्या 1 के पिता एवं वादीनी संख्या 2 के पति है तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 08.02.1997 को हो गया। वादीगण के पिता/पति का उनके जीवन काल में उक्त ख0नं0 की कृषि भूमि पर बदस्तुर कब्जा रहा तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वर्ष 1997 से वादीगण उक्त विवादित आराजीयात पर बखूबी काबिज काश्त है। जमाबंदी वर्ष 1933–36 में पूर्व से ही वादी संख्या 1 के पिता एवं वादीनी संख्या 2 के पति श्री छीतरदान पुत्र श्री श्रीदान उक्त खसरा नम्बरान बहैसियत खातेदार काबिज रहे है एवं उस पर अपने भरण–पोषण हेतु निरन्तर काश्त करते रहे है।

उनवान खेतसिंह बनाम सरकार
क :–15.02.2022

तहसील देवली में कुछ समय पूर्व कृषि भूमियों का सर्वेक्षण सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया तथा वादीगण के स्वामित्व के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि में से निम्न आराजीयात को गैरकानूनी एवं अनाधिकृत तौर से विभाग द्वारा चारागाह दर्ज कर दिया गया। जिसका तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :–

चरागाह दर्ज की गई भूमि का विवरण

क्र.सं.	हाल ख.नं. जो अविधिक रूप से चारागाह दर्ज किये गये है, जो वास्तव में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त के है	वास्तविक एवं सही साबिक ख0नं0 जिनसें कॉलम नं0 2 के हाल ख0नं0 बने है	मिलान क्षैत्र में दर्शाए गए साबिक ख0नं0 जिनसे कॉलम नं0 2 के हाल ख0नं0 बनना बताये है जो गलत एवं त्रुटिपूर्ण है।
1	2	3	4
1	ख0नं0 605 रकबा 0.18 है0 (पूर्ण वादी का है।)	ख0नं0 368 रकबा 09 बीघा	ख0नं0 483 मि.
2	ख0नं0 603/737 रकबा 3.00 है0 (इसमें से 1.55 है0 भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है)	ख.न. 368 रकबा 09 बीघा 00 बिस्वा ख.न. 373 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा ख.न. 480 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 481 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा ख.न. 482 रकबा 00 बीघा 15 बिस्वा	ख.नं. 483 मि.
3	ख.नं. 598/707 रकबा 2.11 है0 (इसमें से 2.05 है0 वादी का है)	ख.नं. 480 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा	ख.नं. 483 मि.
4	ख.नं. 594 रकबा 2.33 है0 (इसमें से 0.40 है0 वादी का है)	ख.नं. 480 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा	ख.नं. 483 मि., 408 मि. व 479
5	ख.नं. 435 रकबा 0.94 है0 (पूर्ण वादी का है)	ख.नं. 368 रकबा 09 बीघा	ख.नं. 483 मि.

उक्त कॉलम संख्या 2 में दर्ज ख0नं0 जिनका कुल रकबा 5.12 है0 है तथा जो कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी जिसे सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपने सर्वे

…में अनाधिकृत एवं अवैधानिक रूप से चरागाह दर्ज कर दिया है। सेटलमेंट के दौरान जो मिलान क्षैत्रफल बनाया गया है वह गलत एवं त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकरण में प्रभावित हाल ख0नं0 क्रमशः 605, 603/737, 598/707, 594 एवं 435 कुल 5 किता पूर्व साबिक रिकार्ड एवं मौके के अनुसार क्रमशः साबिक ख0नं0 368, 373, 480, 481, 482 से बने है। जबकि इनमें से हाल ख0नं0 605, 603/737, 598/737 एवं 435 को साबिक ख0नं0 483 से तथा हाल ख0नं0 594 को साबिक ख0नं0 483, 408 एवं 597 से बनना बताया है जो पूर्णतया गलत तथा साबिक रिकार्ड एवं मौके के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। (उक्त तालिका का कॉलम संख्या 1–4 अवलोकन फरमावें।) सर्वेक्षण से पूर्व प्रभावी ग्राम धांधोली की नक्शा शीट (ट्रेस) को सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई नक्शा शीट (ट्रेस), से जब मिलान किया जाता है अर्थात साबिक शीट पर नई शीट सुपर इम्पोज कर अध्ययन किया जाता है तो विभाग द्वारा बनाये गये हाल ख0नं0 605, 603/737, 598/707, 594 एवं 435 किसी भी प्रकार वर्तमान मिलान क्षेत्रफल में वर्णित साबिक ख0नं0 से मेल नहीं खाते। विभाग ने हाल ख0नं0 605, 603/737, 598/707, 594 एवं 435 साबिक ख0नं0 483 मि. से बनना बताये है। इसी प्रकार हाल ख0नं0 594 को साबिक ख0नं0 483 मि., 408 मि. एवं 579 से बनना बताया है। यह पूर्णतया गलत एवं त्रुटिपूर्ण है। दोनों मानचित्रों को एक–दूसरे से उपर सुपर कम्पोज करने पर उक्त हाल ख0नं0 के नीचे साबिक शीट में उपरोक्त वर्णित साबिक ख0नं0 नहीं है। अर्थात उक्त वर्णित साबिक ख0नं0 से नहीं बने है। इस प्रकार विभाग द्वारा जारी किये गये मिलान क्षेत्रफल सही नहीं है। गलत एवं त्रुटिपूर्ण है। उक्त प्रकार साबिक एवं हाल नक्शा शीट को एक–दूसरे के उपर सुपर इम्पोज किया जाकर ध्यान पूर्वक अध्ययन करने एवं मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हाल ख0नं0 605, 603/737, 598/707, 594 एवं 435 के नीचे साबिक शीट में हाल ख0नं0 605 साबिक ख0नं0 368 से, हाल ख0नं0 603/703 साबिक ख0नं0 368, 373, 480, 481 एवं 482 से, हाल ख0नं0 598/707 साबिक ख0नं0 480 से हाल ख0नं0 594 साबिक ख0नं0 480 से एवं हाल ख0नं0 435 साबिक ख0नं0 368 से ही बने है। यह स्थिति मौके के अनुसार भी सही है। इस प्रकार विभाग ने उक्त हाल ख0नं0 वास्तविक एवं सही रूप से जिन साबिक ख0नं0 से बने है। मिलान क्षैत्रफल में उन्हें उसी प्रकार सही–सही अंकित न कर भयंकर त्रुटि की है। विभाग की इस त्रुटि के कारण वादीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है।

भू–प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं गलत मिलान क्षैत्रफल जारी करने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद संख्या 188/12 वास्ते उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, इस्तकरारे हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा में वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कानूनी कठिनाई आ रही है। भू–राजस्व नियमावली के अनुसार जारी मिलान क्षेत्रफल में तदुनुसार दुरूस्तियां किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके अभाव में वादींगण को उनके काश्तकारी अधिकारों एवं परिलाभों से वंचित होना पड रहा है। भू–प्रबंध विभाग की इस त्रुटि से वादीगण को अपने पूर्वजों से चली आ रही खातेदारी के बावजूद अतिक्रमी मानकर गत् कई वर्षो से अनावश्यक एवं अविधिक रूप से शास्ति एवं बेदखली से दंडित किया जा रहा है। जो किसी भी प्रकार सही नहीं है। यह वादीगण के हक एवं अधिकारों का हनन है। प्रश्नगत् हाल ख0नं0 के साबिक ख0नं0 का मिलान क्षेत्रफल में दुरूस्ती इन्द्राज के होने पर ही वादीगण को उनके अधिकार एवं वास्तविक परिलाभ मिल सकेंगे। प्रतिवादीगण ने सेटलमेंट के दौरान किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेशों के बिना वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात को चरागाह दर्ज कर दिया गया है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त पैरा नं0 2 में वर्णित हाल ख0नं0 की कुल भूमि 5.12 है0 को वादीगण के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि को चरागाह दर्ज कर लिया। उक्त आराजीयात जो वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक व अनाधिकृत तौर से क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर चरागाह दर्ज करा दिये जबकि इस प्रकार के इन्द्राज का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वाद के चरण संख्या 2 में वर्णित साबिक ख0नं0 368, 373, 480, 481 एवं 482 से ही हाल ख0नं0 605, 603/737, 597/707, 594 एवं 435 निर्धारित किये गये है यह तथ्य मिलान क्षेत्रफल में साबिक एवं हाल की नक्शा शीट से संशोधन होने के उपरान्त स्वयं स्पष्ट एवं सिद्ध हो जायेगें। (मिलान क्षेत्रफल जो गलत बने हुए है उनमें संशोधन होना आवश्यक एवं अपेक्षित है।) सेटलमेंट से पूर्व ग्राम धांधोली की जमाबंदी संवत् 2033–36 की कुल चरागाह भूमि 171 बीघा 11 बिस्वा थी जबकि नये सर्वे के अनुसार सेटलमेंट विभाग द्वारा ग्राम धांधोली की कुल चरागाह भूमि 52.56 है0 अर्थात 210.11 बिस्वा दर्ज की गई है। यह उल्लेखनीय है किसी भी स्थान पर वैधानिक रूप से विधि सम्मत् प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम धांधोली में अन्य प्रकार की भूमि को चरागाह में हस्तान्तरित अथवा

स्थानान्तरित नहीं किया गया है, एसी स्थिति में जब राज्य सरकार द्वारा ग्राम धांधोली की चरागाह भूमि को बीसलपुर पुनर्वास हेतु आवासीय रूपान्तरित कर सिवायचक भूमि घोषित की है तब ऐसी स्थिति में चरागाह की भूमि का रकबा बढने का कोई कारण ही नहीं बनता। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना सोचे समझे तथा बिना मौका निरीक्षण, सर्वे के जो सम्पूर्ण दस्तावेज बनाये है वों पूर्ण रूप से विधि के विपरीत एवं तथ्यात्मक रूप से गलत है। ग्राम पंचायत को उक्त दुरूस्ती में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि उक्त पैरा नं0 2 में अंकित कृषि भूमि भूलवश चरागाह भूमि अंकित की गई है। अतः ग्राम पंचायत को इस संबंध में दुरूस्ती संबंधी किसी भी आदेश से कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकरण में वाद कारण 10 माह पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी द्वारा वादीगणों को बेदखल करने की धमकी दी गई एवं आज भी निरन्तर दी जा रही है। यह दावा राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 88, 188 एवं 92 ए के अन्तर्गत निर्धास्ति समयावधि एवं निर्धारित शुल्क पर प्रस्तुत है। वादीगण के अलावा स्वर्गीय छीतरदान पुत्र श्री श्रीदान चारण के अन्य कोई वारिस नहीं है तथा पूर्व पारिवारिक समझोते एवं बंटवारे को लेकर श्री छीतरदान एवं उनके पारिवारिक सदस्यों में कोई विवाद नहीं है।

वादी द्वारा उक्तानुसार वाद प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी 1, 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है –पेरा नं0 1 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। पेरा नं0 2 अस्वीकार है। पेरा नं0 3 अस्वीकार है। पेरा नं0 4 स्वीकार नही है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल ख0नं0 व साबिक ख0नं0 की स्थिति निम्न प्रकार है।

हाल ख0 नं0	साबिक ख0नं0
436	483 मि.
605	483 मि.
603/737	483 मि.
598/707	483 मि.
594	483 मि., 408 मिन

इस प्रकार साबिक ख0नं0 483, 408 पूर्व रिकार्ड में चरागाह ही दर्ज है। पेरा नं0 5 मुताबिक रिकार्ड है। पेरा नं0 6 ग्राम पंचायत से संबंधित है। पेरा नं0 7 कानूनी है। पेरा नं0 8, 9, 10 माननीय न्यायालय से संबंधित है। यह है कि हाल ख0नं0 436, 605, 603/737, 598/707, 594 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक ख0नं0 483 मि. से बना है। ग्राम धांधोली में साबिक ख0नं0 483 मि. चरागाह दर्ज है। चरागाह भूमि पर राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी देय नहीं है। अतः वाद पत्र निरस्त योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबः– उपरोक्त वाद अन्तर्गत ग्रा.पं. पोल्याडा दिनांक 20.10.12 को पंचायत कोरम में निर्णय प्रस्ताव सं0 4 किया गया कि श्री खेत सिंह वगैरह बनाम सरकार के वाद में ख0नं0 368, 269, 373, 387, 480, 481 व 482 नम्बरों की जमीन जो चरागाह में दर्ज हो गयी थी जिसमें से हाल नं0 603/737 में से 1.8 है0 जो वादी की रही है इसके अलावा हाल नं0 598/707 व 594 जिसमें 0.20 है0 जमीन वादी है और हाल ख0नं0 603/737 की जमीन वादीगण की दर्ज होनी चाहिए। आराजीयात की कुल जमीन 4.45 है0 जो कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भी रही है जिसे वापसी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञा बाबत् ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह जमीन भी बहत व वादीगण क्राश्त करते है। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत किया जो इस प्रकार हैः– यह सही है कि ग्राम धांधोली तहसील देवली स्थित चरण सं. 1 में दर्ज आराजी श्री छीतर दान, दुर्गा दान पिसरान श्रीदान जाति चारण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 368, 369, 373, 387, 480, 481 व 482 नं0 की जमीन बंटवारे में छीतर दान के हिस्से आयी थी और छीतर दान जो वादी सं0 1 के पिता तथा वादिनी सं0 2 के पति है और छीतर दान के निधन 08.02.1997 को हो गया। छीतर दान जब तक जीवित रहे, वे काबिज काश्त उक्त वर्णित आराजी पर रहे तथा उनके निधन के बाद यानि वर्ष 1997 से वादीगण ही इस आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। मृतक छीतर दान पुत्र श्रीदान वर्ष 1933–36 में पूर्व से ही बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार रहे। दौराने भू–प्रबंध उक्त आराजीयात को अवैधानिक रूप से उनकी साबिका खातेदारी से चरागाह में दर्ज कर दी जो गलत है। साबिका खातेदारी आराजी से हाल विवादित नं0

435,594,598/707,603/737 व 605 बनाये गये है। इन ख0नं0 में क्रमशः 0.94 है0, 2.33 है0 में से 0.40 है0, 2.11 है0 में से 2.05 है0, 3.00 है0 में से 1.55 है0 एवं 0.15 है0 इस प्रकार उक्त पांच किता खसरों में कुल भूमि 5.12 है0 वादीगण की है। इस प्रकार अवैधानिक अंकन हुआ है। जबकि इस आराजी पर आज भी वादीगण का कब्जा काश्त बदस्तूर है। वाद पत्र में चरण सं0 2 में वर्णित आराजीयात की कुल जमीन 5.12 है0 है जो कि वादीगणकी कब्जे काश्त व सांबिका खातेदारी की रही है और इस आराजी को सैटलमेंट ने बिना किसी सक्षम न्यायालय/आदेश के चरागाह दर्ज की है, जिसे वापसी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञा बाबत् ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। यह जमीन आज भी वादीगण काश्त करते है। जिस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। संशोधित वाद के चरण सं0 3, 4 एवं 5 रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार भी ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रतिवादी सं0 3, ग्राम पंचायत पोल्याडा की ओर से जवाब दावा पेश करते हुए यह प्रार्थना है कि वादीगण को उक्त आराजी जिसका कुल रकबा 5.12 है0 ग्राम धांधोली तहसील देवली है, खातेदारी में घोषित की जाकर अमल वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में कर दिया जावें तो प्रतिवादी सं0 3 को कोई आपत्ति नहीं है। जवाब दावा पेश है।

पत्रावली में तंनकियात बिन्दू कायम किये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने बयान/गवाह खेत सिंह पुत्र श्री स्व. छीतरदान उम्र 64 वर्ष पेश किया। वादी ने दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत 2033–36 प्रदर्श – 2 ता 4 धारा 91 के नोटिस प्रदर्श–5 साबिका मोमिया ट्रेस सन् 1956 प्रदर्श–6 नक्शा शीट सन् 1982 प्रदर्श–7 नक्शा शीट सन् 1982, प्रदर्श–8 ता 10 नकल मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–11 से 14 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू नियम 26 के अन्तर्गत सम्वत 2046 पृष्ठ संख्या 113 से 116 प्रदर्श 15 से 28 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 14 की धारा 112 के नियम 19 के अनुसार ग्राम धांधोली सम्वत 2039 प्रदर्श 29 से 32 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के नियम 26 खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2046–65 पृष्ठ संख्या 51, 55, 56 प्रदर्श 24 से 28 व 33 से 34 मिलान क्षैत्रफल 2046–65 प्रदर्श 35 प्रस्ताव संख्या 4 प्रदर्श–36 दिनांक6.11.12, दिनांक

23.10.12 प्रस्ताव संख्या 4 की प्रतिलिपी दोराने सेटलमेन्ट कार्यवाही में दर्ज की गई अभिलेख की नकल पेश किये है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि भू–प्रबन्ध अधिकारीयों ने मिलान क्षैत्रफल गलत बनाया है जिसके कारण साबिक खसरा नम्बरो व हाल ख. नं का मिलान नहीं हो रहा है। वादीगण का विवादास्पद आराजी पर आराजी के पूर्वज छीतरदान के समय से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है जिसके धारा 91 के नोटिस भी पत्रावली में संलग्न है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त वादीगण के पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है परन्तु सेटलमेंन्ट अधिकारीयों ने बिना किसी सक्षम आदेश के हाल ख. नं. को साबिक ख. नं. 483 मिन, 408 मिन व 479 मिन से बनना दर्शा दिया। जो कि पूर्णतया गलत है। साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट रूप से नजर आता है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मिलान क्षैत्रफल भी गलत बनाया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस बाबत ग्राम पंचायत कोरम ने भी वादी के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। और जवाब भी वादीगण के पक्ष में पेश किया हैं। ग्राम पंचायत ने अपनी कोरम में विवादित भूमि पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने पर अनापति दी है । तहसीलदार ने अपने जवाब के पक्ष में कोई साक्ष्य व दस्तावेजात पेश नहीं किये है जबकि वादी ने साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस के माध्यम से वाद को साबित किया है। अतः दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जावे।

<u>तनकीयात</u> :–

1. **आया वादीगण विवादित आराजीयात ख. नं. 436 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 605 रकबा 0.18, ख. नं. 603/737 रकबा 2.00, ख. नं. 598/707 रकबा 2.05, ख. नं. 594 रकबा 0.20**

कुल रकबा 4.45 है0 वाके ग्राम धांधोली की भूमि को खातेदारी काश्तकार उद्घोषित करवाये जाने का हकदार है ? **–वादीगण–**

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 के खाता संख्या 19 में कॉलम संख्या 5 में छीतरदान दुर्गादान पुत्र श्री दान व कॉलम संख्या 6 ख0नं0 368, 369, 373, 387, 480, 481 दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के अनुसार हाल ख. नं. 436 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 605 रकबा 0.18, ख. नं. 603/737 रकबा 2.00, ख. नं. 598/707 रकबा 2.05, ख. नं. 594 रकबा 0.20 कुल रकबा 4.45 है0। वाद अनुसार साबिक ख. नं. 368 से हाल ख. नं. 605, साबिक ख. नं. 368, 373, 480, 481 व 482 से हाल ख. नं. 603/703, साबिक ख. नं. 480 से हाल ख. नं. 594, साबिक ख. नं. 368 से हाल ख. नं. 435 बने है। प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि हाल ख. नं. 435, 605, 603/737 व 598/707 साबिक ख. नं. 483 मिन, प्रदर्श–33 साबिक ख. नं. 483, 408, व 479 से हाल ख. नं. 594 से बनना दर्शित है। प्रदर्श–5, 6 व 7 साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस से भी पूर्णतया यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि साबिक ख. नं. 368 से हाल ख. नं. 605, साबिक ख. नं. 368, 373, 480, 481 व 482 से हाल ख. नं. 603/703, साबिक ख. नं. 480 से हाल ख. नं. 594, साबिक ख. नं. 368 से हाल ख. नं. 435 बने है। तहसीलदार देवली ने अपने जवाब में पेरा नं. 2, 3 व 4 को अस्वीकार करते हुए बताया कि साबिक ख. नं. पूर्व रिकॉर्ड में चरागाह ही दर्ज है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत पोल्याड़ा का जवाब व प्रस्ताव अपने वाद के पक्ष में पेश किया है जो वाद वर्णित आराजी को चारागाह से खातेदारी देने के लिए पर्याप्त सहादत नहीं है। चरागाह भूमि पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी देय नहीं है। वादी ने वाद वर्णित आराजी को साबिक ख. नं. व हाल ख. नं. को मिलान क्षैत्रफल से साबित नहीं करने व वाद वर्णित भूमि धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में होने से यह तनकी विरूद्व वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकी के विवेचन व विश्लेषण तथा अधिवक्ता की बहस व पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में नकल जमाबंदी सम्वत् 2046 संख्या 114 व 115 वाके

ग्राम धांधोली मे ख. नं. 435, 436 , 594, 598 व 605 के अवलोकन से जाहिर हैं कि उक्त आराजी की किस्म चारागाह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण काफी वर्षो से विवादित आराजी पर स्वयं को काबिज होना प्रकट कर उक्त विवादित आराजी का उसे खातेदार घोषित करने के सम्बन्ध में यह वाद प्रस्तुत किया है। लेकिन यहां उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे वादी का उक्त विवादित आराजी पर लगातार बहुत वर्षो का कब्जा प्रमाणित हो सके। वादी की और से गिरदावरी एवं धारा–91 के नोटिस की ज़ो प्रतियां प्रस्तुत की है उनसे भी वादी का निरन्तर वर्षो का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। वेसे भी विवादित आराजी की भूमि की किस्म चरागाह होने से उक्त आराजी न तो नियमन की श्रेणी में आती हैं और न ही किसी को आवंटित की जा सकती हैं। वादीगण की हैसियत राजकीय भूमि पर मात्र अतिक्रमी की है। ऐसी स्थिति में वादीगण को विवादित भूमि चारागाह होने एवं वादी का कब्जा प्रमाणित नहीं होने व विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी में होने से वादीगण को वांछित अनुतोष दिया जाना कानून सम्मत प्रतीत नहीं होता हैं। अतः वाद वादी खारिज किया जाता हैं तथा तहसीलदार, देवली को आदेश दिये जाते हैं कि वह चारागाह भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर पालना से अवगत करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

उनवानी दावा :

1. खेतसिंह पुत्र श्री छीतरदान जी जाति चारण, निवासी ग्राम धांधोली, तहसील देवली जिला टोंक, राजस्थान
2. श्रीमती लाडबाई पत्नि स्व. श्री छीतरदान चारण निवासी ग्राम धांधोली, तहसील देवली, जिला टोंक, राजस्थान

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
2. तहसीलदारजी देवलीं जिला टोंक
3. ग्राम पंचायत पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक जरिये सचिव

–प्रतिवादीगण–

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व इस्तकरारे हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 188 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दाथलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

वाद वादी खारिज किया जाता हैं तथा तहसीलदार, देवली को आदेश दिये जाते हैं कि वह चारागाह भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि कब्जे राज् लेकर पालना से अवगत करावें।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 02 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए